NAME OF NEWSPAPER

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, JULY 28, 2022

Deposits, penalties may take sheen off Ramlilas

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: An increase in the security deposit amount by Delhi Development Authority (DDA) for booking of its ground and an additional Rs 10 lakh to be deposited as a "refundable" penalty for violation of Delhi Pollution Control Committee (DPCC) norms have put a large number of Ramlila committees Durga Puja samitis in a fix.

In a clarification issued on Monday, DDA said that as per DPCC's 2019 directions, there would be no cooking and dish washing in stalls and violators would be fined Rs10 lakh. The amount will be charged at the time of booking and refunded along with the security deposit if the norm isn't violated.

DPCC had directed agencies to ensure installation of effluent treatment plants (ETP) in an open land being used for holding functions for treating the wastewater generated due to cooking, dish washing etc.

Arjun Kumar, president of Shri Ramlila Mahasangh, said Ramlila was staged at around 650 places at both big and small scale, and it won't be possible for most committees, largely dependent on contribution from people, to get such a big amount or install an ETP. "We have requested the lieutenant governor, who is also the DDA chairman, to look into it; otherwise we wo-



THE SHOW WILL GO ON, OR WILL IT?

uld have to protest," he said.

Despite repeated attempts, DDA didn't respond to queries sent by TOLA

Ravi Jain of Dharmik Ramlila Committee said a Ramlila held at a small scale wouldn't be able to deposit such a huge amount after already facing difficulties in the past two years due to the pandemic. Dhiraj Gupta, general secretary of the committee, said a delegation had already met the LG and a solution would be found by next week.

A large number of Durga Puja samitis, which celebrate the festival on DDA's grounds, are facing the same problem. "At least nine Durga Pujas are held at DDA grounds in east Delhi. Just when we were hoping to rebound from the pandemic, this huge penalty of Rs 10 lakh, along with increased security deposit, will mean many smaller pujas would come to an end," said Mrinal Kanti Biswas of Purbanchal Bangiyo Samiti, an umbrella organisation of puja samitis in east Delhi.

Biswas said DDA had fixed the daily security deposit at Rs 24 per square metre, which would mean an additional burden of Rs 10 lakh at an averagesized DDA ground.

Delhi BJP spokesperson Prayeen Shankar Kapoor has urged the LG to ask DDA to revert to the old security deposit amount for allotment of grounds for Ramlila and other religious functions, and waive off conditions like ban on cooking food and installation of ETP.

हैं। जिल्ला क्रिया कार्रवाई के लिए एलजी ने की पहल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्लीः उपराज्यपाल देन रोका जा सकेगा। वीके सक्सेना ने लैंड पूर्लिंग नीति पर जल्द कार्रवाई के लिए पहल की है। राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए हुई बैठक में नीति के कार्यान्वयन के लिए जल्द कानूनी राय लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर डीडीए के साथ 142 लंबित भूमि अधिग्रहण के मामलों का भी समाधान किया जाना चाहिए।

उपराज्यपाल ने हाल के दिनों में सरकारी जमीन की अवैध तौर पर की गई बिक्री और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विस्थापित, ग्रामसभा तथा अधिग्रहित भूमि का विवरण दिल्ली आनलाइन पंजीकरण सूचना प्रणाली पर निषिद्ध भूमि के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। इसका अवैध लेन-

हजारों बोरवेल सील किए जाने वाले आदेश की चर्चा करते हुए निर्देश दिया कि राजस्व विभाग केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिल्ली के भूजलीय नक्शे का अध्ययन करे और इसके आधार पर तर्कसंगत नीति तैयार करे। ऐसे क्षेत्र जहां भूजल स्तर अधिक है वहां पिट होल बनाकर भूजल रिचार्ज करने की व्यवस्था की जाए और बोरवेल चालु करने की अनुमति दी जाए।

कोरोना पीडित परिवारों के अनग्रह राशि के भुगतान के लंबित दावों का 15 दिनों के भीतर त्वरित निपटारा करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (राजस्व), सह मंडल आयुक्त, सभी डीएम और डीडीएमए के विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे।

NAME OF NEWSPAPERS--

लैंड पूलिंग के मामले जल्द निपटाएं

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने लैंड पूलिंग पर जल्द कार्यवाही के लिए पहल की है। राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए हुई बैठक में उप राज्यपाल ने लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के लिए एसओपी पर जल्द कानूनी राय लेने और तीन दिन के भीतर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर डीडीए के साथ 142 लंबित भूमि अधिग्रहण के मामलों का भी समाधान किया जाना चाहिए।

उप राज्यपाल ने हाल के दिनों में सरकारी जमीन की अवैध तौर पर की गई बिक्री और प्रष्टाचार के मामलों 💻 एलजी ने अफसरों को निर्देश जारी किए मृमि अधिग्रहण पर भी एक माह में काम करेंगे

पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने राजस्व विभाग को आवेदनों के ऑनलाइन प्रोसेस को एक महीने के अंदर चालु करने के निर्देश दिए। उप राज्यपाल ने कहा कि इवैक्यू, शत्रु, ग्रामसभा तथा अधिग्रहीत भूमि का विवरण दिल्ली ऑनलाइन पंजीकरण सुचना प्रणाली (डीओआरआईएस) पर निषद्ध भूमि के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। ताकि, इसका अवैध लेन-देन रोका जा सके। इसके साथ ही शहरीकत गांवों में चकबंदी की कार्रवाई की काननी वैधता की जांच कर इस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप राज्यपाल ने डीओआरआईएस एवं म्यूटेशन साफ्टवेयर को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। 15 अगस्त तक अप्वाइंट मैनेजमेंट सिस्टम को डीओआरआईएस से जोड़ने के लिए कहा गया है।

उप राज्यपाल ने राजस्व विभाग को सर्किल रेट में रीविजन तथा इसके लिए गठित विभिन्न कार्य समूहों की रिपोर्ट के साथ विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (राजस्व), सह मंडल आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं डीडीएमए के विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजुद रहे।

बुकिंग शुल्क बढ़ाने पर रामलीला महासंघ नाराज

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रामलीला मंचन समितियों ने डीडीए पर मैदान बुक करने का शुल्क बढ़ाने का आरोप लगाया है। समितियों ने बुकिंग संबंधी शुल्क में वृद्धि को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर डीडीए बढ़ा शुल्क वापस नहीं लेता है तो आंदोलन करेंगे।

श्री रामलीला महासंघ दिल्ली के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि डीडीए ने मैदान बुक करने संबंधी शुल्कों में कई गुना वृद्धि कर दी है, जिससे सिक्योरिटी शुल्क बढ़ गया है। पहले मैदान के आकार के हिसाब से दस हजार रुपये से लेकर एक लाखु है। वरना आंदोलन होगा।

रुपये तक के बीच में सिक्योरिटी शुल्क बुकिंग के लिए समितियों को जमा कराना पड़ता था, लेकिन उसमें तमाम तरह के शुल्क जोड़े जाने से उसका भार दस लाख रुपये तक बढ़ गया है। साथ ही रामलीला मंचन को लेकर कई प्रकार की शर्ते भी थोप दी हैं।

उन्होंने बताया कि रामलीला मंचन को लेकर वाणिज्यिक दरें तय की गई हैं जो पूर्णत गलत हैं। बढ़े शुल्क को वापस लेने की मांग को लेकर आठ अगस्त को समितियों की बैठक बुलाई है। अगर इस बीच डीडीए द्वारा बढ़ाएं शुल्क वापस ले लिए जाता है तो अच्छा

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

अब पौधारोपण की जमीन बन रही दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी जंग का मैदान

संजीव गुप्ता 👁 नई दिल्ली

पौधारोपण की जमीन दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी जंग का नया मैदान बन रही है। इसकी वजह यह है कि पौघारोपण की जमीन के मसले पर वन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। वन विभाग पौधारोपण के लिए डीडीए से जमीन की मांग कर रहा है, पर डीडीए उसकी हर मांग को खारिज कर रहा है।

दिल्ली सरकार शहर में पौघारोपण नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके लिए उसे डीडीए से जमीन नहीं मिल रही है। इस साल भी 35 लाख पौधे रोपने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 76 प्रतिशत तक झाड़ियां लगाने की रणनीति बनाई गई है। जब इस

- डीडीए ने जमीन की कमी के कारण एक के बदले 10 पौधे लगाने की नीति में दिया था बदलाव करने का सुझाव
- वन विभाग ने डीडीए को दिया यमना किनारे 5500 हेक्टेयर भूमि होने का जवाब, डीडीए ने दलील की खारिज

संदर्भ में डीडीए से जमीन मांगी गई तो डीडीए ने सरकार को एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने की नीति ही बदलने की सलाह दे दी। इस पर वन विभाग ने डीडीए को फिर पत्र लिखा, जिसमें केंद्र सरकार की ही एजेंसियों के दो पूर्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए यमना किनारे 5.500 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होने का दावा किया गया। इस पत्र के जवाब में डीडीए ने उस दलील को भी खारिज कर दिया है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने

बताया कि वन विभाग ने अपनी ओर से ही न जाने किस गणना के आधार पर खाली जमीन होने का दावा कर दिया है। जबकि, न तो उन्हें यह पता है कि 'ओ' जोन में कितने भवन बने हुए हैं और न यह जानकारी है कि वहां पर कितना अतिक्रमण है। यमुना किनारे जो भी खाली जमीन थी, डीडीए पहले ही वहां पौधे लगा चुका है। दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सीडी सिंह कहते हैं कि अगर डीडीए अब केंद्र सरकार की एजेंसियों के सर्वे को भी स्वीकार नहीं कर रहा तो फिर क्या कहा जाए। सच तो यह है कि दिल्ली में अब भी पौधारोपण के लिए काफी खाली जमीन है। उन्होंने कहा कि डीडीए के रुख पर वन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से चर्चा के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS HINDUSTAN Times L-DATED-

LG asks revenue dept for plan to revise circle rates, online mutation

HT Correspondent

htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant Governor VK Saxena on Wednesday asked the revenue department officials to prepare a presentation for revising circle rates in Delhi, an important development that could raise property rates in the city, according to officials in the LG's office.

Circle rates are the minimum government defined prices at which a property sale or transfer can be done.

Circle rates in Delhi were last revised in 2021.

The officials added that the LG has also directed for expediting the process to implement Delhi Development Authority's land pooling policy.

The LG issued the directions during a meeting to review the functioning of the revenue

department.

The department was asked to expedite seeking legal opinion on the standard operating procedures (SOPs) for the implementation of the land pooling policy and apprise the action taken within three days. It was also asked to reconcile the 142 pending land acquisition awards with DDA within one month," a statement issued by Raj Niwas said.

The statement said that the LG also gave instructions to dispose of the pending claims for payment of ex-gratia to the fami-

LG HAS ALSO **DIRECTED FOR EXPEDITING THE** PROCESS TO IMPLEMENT DELHI DEVELOPMENT **AUTHORITY'S LAND** POOLING POLICY

lies of Covid victims within 15 days. The meeting was attended by chief secretary, principal secretary (revenue)-cum-divisional commissioner, and district magistrates, the statement added.

The statement said that the LG pointed towards the order that had led to sealing thousands of borewells in the city irrespective of the water table in the area. "The department was instructed to examine the map of Delhi prepared by Central Ground Water Board to identify locations where water table is high, and accordingly frame a policy in this regard. De-sealing of borewells at such sites accompanied by pit holes to recharge groundwater will help meet the city's water requirements in an environmentally sustainable manner," the statement said.

The revenue department has also been instructed to create a template for monitoring the progress of restoration and renovation of water bodies by the respective district magistrates.

नवशास्त् शहास्त्र रामलीला पर डीडीए की शते

वापस लेने के लिए एलजी से गुहार विस, नई दिल्ली : रामलीलाओं और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भूमि आवंटन करने के लिए डीडीए द्वारा कई सारी नई शर्ते लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बुधवार को इस बारे में उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर उन्हें डीडीए की इन नई शर्तों से अवगत कराते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

कपूर के मुताबिक, आमतौर पर रामलीला कमिटियों को ग्राउंड के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2-3 लाख रुपये ही देने पड़ते थे, लेकिन नए नियमों के तहत अब उन्हें 16 से 20 लाख रुपये तक जमा कराने पड़ेंगे। किसी भी रामलीला कमिटी के लिए इतनी बड़ी रकम एक साथ दे पाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ग्रमलीलाओं का आयोजन लोगों से चंदा इकट्टा करके किया जाता है। इसके अलावा, रामलीलाओं में लगने वाले मेलों में बड़ी तादाद में लोग पारंपरिक खान-पान का लुरफ उठाने के लिए भी आते हैं, लेकिन नए नियमों के तहत ग्राउंड में खाना पकाने पर भी पानंदी लगा दी गई है।

LG का आदेश-तेजी से निबटाएं भूमि संबंधी मामले

 विस, नई दिल्लीः भूमि से जुड़े मसलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए एलजी ने सभी संबंधित विभागों की मीटिंग की। इसमें उन्होंने डीडीए को निर्देश दिए कि वह भूमि अधिग्रहण के 142 मामलों को अगले एक महीने में हल करे। साथ ही, उन्होंने लैंड पलिंग पॉलिसी के लिए बनी एसओपी पर जल्द से जल्द कानूनी राय लेने के निर्देश भी जारी किए हैं।

बधवार को हुई इस मीटिंग में एलजी वी. के. सक्सेना के अलावा मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, सभी जिलों के डीएम डिडिएम के विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जमीन बिक्री, रिजस्ट्रेशन, हस्तारण एवं म्यूटेशन के कार्यों में धोखाधडी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर विभाग को डिमार्केशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को एक महीने मे चाल करने के निर्देश भी दिए है। इसके अलावा भूमि संबंधी अवैध लेन-देन को रोकने के लिए उन्होंने शतु ग्राम सभा और अधिप्रहित भूमि का विवरण ऑनलाइन पंजीकरण सूचना प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, JULY 28, 2022

NAME OF NEWSPAPERS-

--DATED--

Take steps for transparency: LG to revenue dept -

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor V K Saxena has directed officials of the revenue department to ensure that the online processing of applications for demarcation is made operational within a month, among other measures aimed at more automation and transparency.

The direction was given during a review of the functioning of the department on Wednesday "in light of the cases of fraud and corruption in the registration, transfer and mutation of land coming to the fore", Raj Niwas stated.

The LG also asked the department to ensure integration of Delhi Online Registration Information System (DO- RIS) and the mutation softwarefor automatic update of land records after registration of any transaction. Saxena also directed completion of integration of the appointment management system with DORIS by August 15.

The meeting was also attended by the Delhi chief secretary and the principal secretary (revenue)-cum-divisional commissioner, all district magistrates, and the special CEO of Delhi Disaster Management Authority.

The LG instructed that the details of evacuee, enemy, gram sabha and acquired land should be integrated in DORIS under "prohibited properties" to prevent their transaction. The validity of continuing consolidation proceedings in urbanised vil-



Saxena also asked the department to seek legal opinion on the SOP for implementation of DDA's landpooling policy and report within three days

lages will be examined to take necessary action.

The department was asked to make a detailed presentation on the revision of circle rates along with the reports of various working groups constituted for this purpose, Raj Niwas said.

Saxena also asked the department to seek legal opinion fast on the standard operating procedure for implementation of Delhi Development Authority's (DDA) landpooling policy and report within three days. The department will have to reconcile 142 pending land acquisition awards with DDA in a month.

Referring to a blanket order on sealing thousands of borewells, Saxena instructed the department to frame a scientific policy after examining the map of Delhi prepared by Central Ground Water Board to identify locations where water table is high. He said desealing of borewells at such sites accompanied by pit holes to recharge groundwater would help meet the city's water requirements in a sustainable manner.

The revenue department will also create a template for monitoring progress of restoration and renovation of waterbodies, which will be monitored by the DMs.

Saxena asked the department to expedite the setting up of an integrated command and control centre at Shalimar Bagh and advised officials to examine the feasibility of shifting all control rooms of various departments to New Delhi Municipal Council's facility in the meantime.

The claims pending for ex gratia to families of Covid-19 victims will also have to be settled within 15 days.

Green groups start signature campaign for stopping construction at Sanjay Van

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Green groups have launched a signature campaign demanding stopping of construction at Sanjay Van, a 780-acre reserve forest and part of the Southwest Ridge under Delhi Development Authority (DDA).

While officials from Ridge Management Board said the final permission was pending, activists and visitors to the urban forest urged the forest department and the board to intervene.

Opposing infrastructure development in the name of aesthetics-driven nifty ecotourism, the activists and citizens, who often hold clean-up drives, said the authorities should rather focus on keeping the forest area clean. They pointed out that work had already started and this would disturb the forest that is home to over 200 species of birds, over 70 species of burds, over 70 species of birds, several species of snakes and mammals, including jackals and porcupines.

DDA had in January issued an ex-



TIME TO CLEAN UP ACT

pression of interest (EOI) to develop "nature-based learning and adventure activities" in the forest. Subsequently, volunteers from the organisation "There is no Earth B" initiated a campaign by writing to the lieutenant governor requesting withdrawal of the EOI.

Dhrstadyumn, a volunteer, said, "We were hopeful of the EOI being rolled back.

However, the LG visited Sanjay Van in June and asked the officials to identify green patches to hold events, international and national festivals and other cultural events. This is a pristine forest and the authorities are trying to convert it into a park. Sanjay Van is not Sunder Nursery or Lodhi Garden. It cannot afford disturbance as there are several wildlife species living here."

"So far, 1,705 people have sent emails to the LG to stop the commercialisation of Sanjay Van. Students from different colleges of Delhi University are also creating artwork to raise awareness," said another volunteer, adding that during a recent cleanliness drive they had collected over 100kg of garbage, mostly plastic waste.

Aforest official and member of Ridge Management Board said, "The project is still under consideration. The rules mention that reserve forests, parks or forest areas should be handed over to the forest department. But DDA is still managing Sanjay Van." DDA officials couldn't be reached for comments.

NAME OF NEWSPAPERS

DATED-

नई दिल्ली। बुहस्पतिवार ● 28 जुलाई ● 2022

सहारा= | www.rashtriyasahara.com |

कोरोना पीड़ित परिवारों के लंबित मामलों को 15 दिन में निपटाएं अफसर : एलजी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से भूमि रिकार्ड के स्वरखाव, अधिग्रहण, रजिस्ट्रेशन, बिक्री, आदि को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (राजस्व), सह मंडल आयुक्त, सभी जिल्लाधिकारी एवं डीडीएमए के विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल थे। उप-राज्यपाल ने बैठक में आपसी तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ ही कोरोना पीड़ित परिवारों के लंबित मामलों को 15 दिन के भीतर निपटान के आदेश दिए।

उप-राज्यपाल ने लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के लिए एसओपी पर जल्द कानूनी राय लेकर तीन दिनों के भीतर कार्रावाई से अगवत कराने एवं एक महीने के भीतर डीडीए के साथ लंबित 142 भूमि अधिग्रहण के मामलों का निपटान करने को कहा है। सक्सेना ने जमीन की बिक्री, मंजीकरण, हस्तांतरण एवं दाखिल खारिज के मामलों में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के परिपेक्ष्य में विभागों के डिम्मुर्केशन के लिए मिले

ऑन लाइन आवेदनों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देते हुए इसे दिल्ली ऑन लाइन सूचना प्रणाली से जोड़ने को कहा है। जिससे अनिधकृत रजिस्ट्रेशन संबंधी



उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा की

ऑनलाइन आवेदनों का

महीने भर में समाधान करने का निर्देश

सभी लेन-देन रोका जा सके। उप-राज्यपाल ने शहरी गावों में चकबंदी की कार्रवाई की कानूनी वैधता की जांच कर इस संबंध में जरूरी कार्रवाई के भी निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही अप्वाइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डीओआरआईएस से जोडने को कहा है।

बैठक में उप-राज्यपाल ने राजस्व विभाग को सर्कल रेट में रिवीजन एवं गठित विभिन्न समूहों की रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत प्रजंटशन देने का कहा है। दिल्ली में हजारों बोरवेल सील किए जाने वाले आदेश पर चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व विभाग केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिल्ली के भूजलीय नक्शे का अध्ययन करे और इसके आधार पर बोरवेल संबंधी वैज्ञानिक और तर्कसंगत नीति तैयार करे। जिन इलाकों में भूजल स्तर कंचा अधिक है, वहां पिट होल बनाकर भूजल को रिचार्ज करने की व्यवस्था की जाए और बोरवेल चालू करने की अनुमति दी जाए। अधिकारियों को जलाशयों के पुनरुद्धार और उससे संबंधित कार्य योजना का निर्धारित समयसीमा के वहत खाका वैयार करने को कहा है। इसकी निगरानी जिलाधिकारी करेंगे।

उप-राज्यपाल ने शालीमार बाग में विकसित किए जा रहे एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र की स्थापना में तेजी लाने के लिए कहा है और विभागों के सभी नियंत्रण कक्षों को एनडीएमसी के नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित करने की संभावना तलाशने की सलाह दी है।

नालों व जलाशयों की सफाई के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी जोन में डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चौथी जोनल टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सुश्री अकिता चतुर्वेदी ने की और दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी एसआई, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीटीसी के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य मच्छरजनित बीमारियों के नियंत्रण हेतु एजेंसियों की भागीदारी की सुनिश्चित करना था। बैठक में डीडीए, वन विभाग, बोडीओ(दक्षिणी जिला),आई एंड एफसीडी और पीडब्ल्यूडी के जलाशयों में तैरती वस्तुएं, जलकु भी पौधे और मच्छर प्रजनन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी एजेंसियों को नालों और जलाशयों को साफ करने के निर्देश दिए।

3/11/ 3/1/2022

नालों और जलाशयों की सफाई के लिए बनाई रणनीति

नई दिल्ली। डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए दक्षिणी जोन में चौथी जोनल टास्क फोर्स स्मिति की बैठक हुई। इसमें दिल्ली नगर निगम के साथ डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीटीसी और अन्य विभागों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के नालों जलाशयों की सफाई की रणनीति तैयार की।

दक्षिणी जोन की उपायुक्त अंकिता चतुर्वेदी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी विभाग के अधिकारी नालों, जलाशयों में तैरती वस्तुएं, जलकुंभी समेत अन्य पौधों को तत्काल साफ करवाएं। साथ सरकारी कॉलोनियों में नियमित रूप से ओवर हैंड टैंको का निरीक्षण करने के लिए कहा। मच्छरों के प्रजनन रोकने में सहयोग देने की अपील की। खरो

NAME OF NEWSPAPERS-

🕨 २८ जुलाई, २०२२ 🕨 गुरुवार --DATED-

संसद के संशोधन से विधानसभा की समिति हुई निष्क्रिय, उटाए एलजी के आदेश पर सवाल

नर्ड दिल्ली. (पंजाब केसरी): केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को दिए गए अतिरिक्त शक्तियों से दिल्ली विधानसभा का काम प्रभावित हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंगलवार को एडीएम, एसडीएम व अन्य को निलंबित कर दिया, जबकि विधानसभा समिति जांच कर रही थी। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यालय ने कहा कि संसद द्वारा जीएनसीटीडी अधिनियम में किए गए संशोधन को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है।

यह संशोधन अनुच्छेद 239 ए ए का उल्लंघन करता है। इस संशोधन ने विधानसभा की समिति प्रणाली निष्क्रिय हो गई है। संशोधन विघानसभा और उसकी समितियों को प्रशासनिक निर्णयों की जींच करने से रोकता है। कार्यालय ने कहा कि यदि समिति जांच नहीं कर सकती तो क्या करेगी। विधायिका की समितियां प्रशासनिक निर्णयों को देखती हैं और सरकार से कहती हैं कि समितियों द्वारा दोषी पाए जाने पर व्यक्तिगत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। कार्यौलय ने कहा कि याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति विभिन्न मामलों में कुछ एसडीएम और एडीएम के आदेशों की जांच कर रही थी। इससे पहले की जांच आगे बढ़ती चार एसडीएम,

तय समय में काम पूरा करें विभागः एलजी

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान विभाग को लैंड पुलिंग नीति के कार्यान्वयन के लिए एसओपी पर जल्द ही कानूनी राय लेने, 3 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई से अवगत करवाने व एक महीने के अंदर डीडीए के साथ 1.42 लंबित भूमि अघिग्रहण मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए। एलजी ने जमीन बिक्री, पंजीकरण, हस्तांतरण एवं म्यूटेशन के कार्यों में घोखाघड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के परिप्रेक्ष्य में उपराज्यपाल ने विभाग को डिमार्केशन के लिए आवेदनों की आनलाईन प्रोसेस को एक महीने के अंदर चालू करने के निर्देश दिये हैं। विभाग को दिल्ली आनलाईन पंजीकरण सूचना प्रणाली व म्यूटेशन साफ्टवेयर को जोड़ेन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जल स्तर बढ़ाने के साथ बोरवेल चालू करने की अनुमति देने को कहा है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग को जलाशयों के पुनरुद्धार और उससे संबंधित कार्य योजना और कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया है। एलजी ने विभाग को शालीमार बाग में विकसित किए जा रहे एककृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र की

स्थापना में तेजी लाने के लिए कहा है।

दो एडीएम, एक सब रजिस्ट्रार और सकती है। लेकिन इस संशोधन के कुछ अन्य को निलंबित कर दिया गया है। कार्यालय का कहना है जांच से निजी पार्टियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की हुई अवैध हस्तांतरण से सरकारी भूमि को बचाया जा सकता है। विधायिका इन समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही को लागू करती है। संसद संशोधन के माध्यम से विधायिका के इस मौलिक कार्य को नहीं छीन

माध्यम से उसने यही किया है। पीएसी, पीयू, एससीएसटी समिति, ओबीसी कल्याण समिति आदि प्रशासनिक निर्णयों में गहराई से उतरते है। ये समितियाँ ऐसे कार्य करती हैं जो हमारी संवैधानिक योजना में नितांत आवश्यक हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल जिस संशोधन को लाग् करना चाहते हैं, वह समितियों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देगा।

सुरक्षा राशि कम करने के लिए एलजी को पत्र

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर उनका ध्यान डीडीए द्वारा रामलीला एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भूमि आवंटन की सुरक्षा राशि में लगभग 7 गुना वृद्धि किये जाने और ग्राउंड में खाना न पकाने एवं एफलूएंट प्लांट लगाने जैसी अव्यावहारिक शर्ते लगाये जाने की ओर आकृष्ट किया है। साथ ही सुरक्षा राशि पहले की तरह रखने के साथ ही अव्यावहारिक शर्ते हटाने की मांग की है। डीडीए ने यह सुरक्षा वृद्धि एनजीटी के नये आदेश की आड़ में की है। पत्र में कहा गया है कि रामलीला जनता से एकत्र चंदे से होती है, अभी तक रामलीला कमेटी ग्राउंड की सुरक्षा राशि 2 से 3 लाख रुपए देती हैं जिसे बढ़ाकर 16 से 20 लाख रुपए तक किया गया है। किसी भी रामलीला कमेटी के लिए इतनी राशि दे पाना कठिन होगा। रामलीलाओं में पारम्परिक रूप से खाने-पीने के मेले लगते हैं, अतः खाना पकाने पर रोक अव्यावहारिक है। रामलीला समिति मात्र 11 दिन किराया देकर ग्राउंड का उपयोग करती हैं, वह कैसे चंदे का लाखों रुपया देकर सरकारी ग्राउंड में मला एफलूएंट प्लांट लगवा सकती हैं। अतः इस अव्यावहारिक शर्त को भी वापस लिया जाए।

अपर उजाला

मैदानों की बुकिंग के लिए ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि सात गुना बढ़ाई

डीडीए के मैदानों में धार्मिक आयोजन करना हुआ महंगा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीडीए के मैदानों में रामलीला मंचन एवं अन्य धार्मिक कार्य करना काफी महंगा हो गया है। डीडीए ने मैदानों की बुकिंग के दौरान संस्थाओं से ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि करीब सात गुना बढ़ा दी है। आयोजकों को इस मद में बीस लाख तक डीडीए के पास जमा कराना होगा।

पार्क के आकार व सुविधा के आधार पर पहले यह राशि 2-3 लाख रुपये होती थी। डीडीए के इस



फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। भाजपा ने डीडीए से इसे वापस लेने की मांग की है।

दिल्ली रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि दो साल पहले डीडीए के मैदान की बुकिंग के लिए क्षेत्रफल के अनुसार सिक्योरिटी राशि के तौर पर दो से तीन लाख जमा कराने होते थे। इस साल सिक्योरिटी राशि के रूप में 16 से 20 लाख रुपये तक मांगे जा रहे है, जबकि उनके लिए इतनी राशि देना मुनासिब नहीं है।

दरअसल वह चंदा करके रामलीला मंचन कराते हैं। डीडीए कोई भी गलती बताकर रामलीला कमेटियों की सिक्योरिटी राशि जब्त कर लेती है।

दूसरी ओर डीडीए ने आयोजन के दौरान खाना नहीं पकाने और कड़े कचरे के लिए प्लांट लगाने की

भाजपा ने की वापस लेने की मांग

नई दिल्ली। भाजपा ने रामलीला आयोजन के लिए भूमि आवंटन की बढाई गई सिक्योरिटी राशि को वापस लेने की मांग की है। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र भी लिखा है। जिसमें बताया है कि धार्मिक आयोजनों के लिए भूमि आवंटन की सिक्योरिटी राशि में लगभग 7 गुणा वृद्धि कर दी गई है। खाना नहीं पकाने समेत, कई अव्यावहारिक शतें थोपी गई हैं जो व्यावहारिक नहीं हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपर ने कहा है कि पत्र में उपराज्यपाल से अपील की गई है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अव्यावहारिक शर्तों को इटवाएं।

रामलीला महासंघ विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि केवल 11 दिन मैदान का उपयोग होता है। डीडीए

शर्त लगाई है। इस शर्त का भी कि शतों के विरोध में रणनीति तय करने के लिए समस्त रामलीला कमेटियों के पदाधिकारी अगले सप्ताह बैठक करेंगे।

millenniumpost

NAME OF NEWSPAL NEW DELHI | THURSDAY, 28 JULY, 2022

L-G chairs meeting with Revenue Department to review its function

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lt. Governor Vinai Kumar Saxena chaired a meeting to review the function of the Revenue Department. The revenue department is involved in land matters including maintenance of land records, acquisition, registration, sale, etc. and has a direct interface with DDA and MCD.

They also play a crucial role with regards to disaster management and providing basic relief, and services to the people across the City, which involves inter and intra departmental coordination. The department has been asked to expedite seeking legal opinion on the SOP for implementation of Land Pooling Policy and apprise the action taken within 3 days and reconcile the

The L-G asked the department to expedite the setting up of an Integrated Command and Control Center at Shalimar Bagh

142 pending land acquisition awards with DDA within one month.

The L-G has also directed the department to make that online processing of application for demarcation is made operational within a month in light of cases of fraud in registration, transfer and mutation of land.

In this regard, the Department was also asked to ensure integration of DORIS and mutation software so that there is automatic updation of land records after registration of any transaction of land. The integration of the Appointment Management System with DORIS was instructed to be completed by 15 August, 2022.

The L-G instructed them to examine the map of Delhi prepared by the Central Ground Water Board to identify locations where the water table is high and accordingly frame

such a policy.

De-sealing of borewells at such sites accompanied by pit holes to recharge ground water will help meet the City's water requirements in an environmentally sustainable manner.

The L-G asked the department to expedite the setting up of an Integrated Command and Control Center at Shali-

mar Bagh.